भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2359
गुरुवार, 13 मार्च, 2025/22 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान के दौरान वाई-फाई की उपलब्धता

2359. श्री तंगेला उदय श्रीनिवास:
श्रीमती डी.के.अरुणा:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि एअर इंडिया ने अपने बेड़े में संचालित घरेलू उड़ानों जैसे एयरबस ए350, बोइंग 787-9 और एयरबस ए321 नियो पर वाई-फाई इंटरनेट संयोजकता सेवाएं शुरू की हैं और यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त सुविधा को समयबद्ध रीति से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में विस्तारित करने के लिए क्षेत्रवार क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) देश में उड़ान के दौरान वाई-फाई सेवाएं प्रदान करने वाली हवाई कंपनियों का ब्यौरा क्या है और विभिन्न मार्गों/विशिष्ट उड़ानों में इसकी उपलब्धता क्या है;

(घ) क्या उक्त वाई-फाई सेवाएं निःशुल्क हैं/भुगतान वाली हैं और इंटरनेट का उपयोग कुछ निश्चित सामग्री तक अप्रतिबंधित/सीमित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार की उड़ान के दौरान वाई-फाई सेवाओं की शुरुआत के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करने और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और हवाई कंपनियों के साथ समन्वय करने में भूमिका क्या है;

(च) क्या सरकार का भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा विशेषकर लंबी दूरी और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर उड़ान के दौरान वाई-फाई सेवाएं प्रदान किया जाना अनिवार्य करने और इन्हें प्रोत्साहित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) भारतीय विमानन कंपनियों बनाम वैश्विक हवाई कंपनियों पर उड़ान के दौरान वाई-फाई उपलब्धता और पहुंच का तुलनात्मक अध्ययन क्या है तथा भारतीय हवाई कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): जी हां, एअर इंडिया ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में वाई-फाई की सुविधा पुनः आरंभ की है। यह सेवा ए350, ए321 और बी789 प्रकार के विमानों पर प्रदान की जा रही है, जो उड़ान के दौरान वाई-फाई सुविधा प्रदान करने के लिए सुसज्जित हैं।

(ख): सरकार ने वायुयान नियम, 1937 के संशोधित नियम 29ख को दिनांक 21.02.2020 के जीएसआर संख्या 142(ई) माध्यम से अधिसूचित किया है, जिसके तहत यात्रियों को उड़ान मोड या एयरप्लेन मोड में स्मार्टफोन के उपयोग के लिए वाई-फाई के माध्यम से विमान में इंटरनेट सेवाओं के उपयोग की अनुमति दी गई है।

वायुयान नियम, 1937 के नियम 29ख के अनुपालन में, वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट सेवा के उपयोग के लिए दिनांक 24.11.2020 के नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) खंड-5 श्रृंखला-X भाग-I रूप में विस्तृत अपेक्षाएं जारी की गई हैं।

इसके अलावा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के लिए इनफ्लाइट वाई-फाई कनेक्टिविटी के उपयोग के संबंध में कोई अंतर नहीं है।

उड़ान के दौरान वायुयान नियम, 1937 के नियम 29ख के अनुपालन में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना एयरलाइनों का दायित्व है।

(ग): भारत में केवल एअर इंडिया ही कुछ विशेष प्रकार के विमानों जैसे ए350, ए321 और बी789 में वाई-फाई सेवाएं प्रदान कर रही है।

विमान में वाई-फाई की उपलब्धता की जानकारी यात्री को हवाई टिकट पर दर्शायी जाती है। इन विमानों को किसी विशेष मार्ग पर तैनात नहीं किया जाता है, अतः किसी विशेष मार्ग या उड़ान संख्या पर ऐसी सेवाओं का आश्वासन नहीं दिया जाता है।

(घ): एअर इंडिया उन विमानों में मुफ्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करा रही है जो केवल ब्राउसिंग के लिए वाई-फाई उपकरण से सुसज्जित हैं।

(ङ): ऐसी वाई-फाई सेवा संचालित करने के लिए प्रचालकों को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) और दूरसंचार विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/नियमों का भी अनुपालन करना होगा। प्रचालक द्वारा इन अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के पश्चात ही अनुमति प्रदान की जाती है।

(च): डीजीसीए द्वारा भारतीय एयरलाइन कंपनियों को उड़ान के दौरान वाई-फाई सेवाओं को अनिवार्य बनाने या प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ): डीजीसीए ऐसी सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच की निगरानी नहीं करता है तथा केवल भारतीय वाहकों को वाई-फाई सेवाएं संचालित करने की अनुमति प्रदान करता है।

******